क्रम / तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

रीता देवी, पति–स्व0 मनोहर राम, ग्राम–खपरियावां, पोस्ट–बनहा, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग द्वारा अंचल–कटकमदाग, ग्राम–खपरियावां, थाना नं0–119, खाता संख्या–9, प्लॉट संख्या–1010, रकवा–11 डी0 क्रेता प्रीति पायल, पति–दीपक कुमार वर्मा, ग्राम–खपरियावां, पोस्ट–बनहा, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 04/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, कटकमदाग से की गई।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता प्रीति पायल एवं विक्रेता रीता देवी पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदिका को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदिका के पास रकवा **1.52** एकड़ भूमि बचेगी। प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की है। भूमि आवेदिका को खतियान से हासिल है पंजी–II के पृष्ट सं0 78/IX पर मासोमात बुधनी के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत है। रसीद की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता रीता देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2021/527721 दिनांक–23.12.2021 एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2021/405037 दिनांक–22.12.2021 और क्रेता प्रीति पायल का अनुमण्डल, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2021/474985 दिनांक–28.11.2021 एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
	JHNBC/2021/136283 दिनांक-12.12.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, कटकमदाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, ग्राम-खपरियावां, थाना नं0-119, खाता संख्या-9, प्लॉट संख्या-1010, रकवा-11 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 12/09/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 12/09/22	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.16 15:29:52 +05:30
Location: 192.168.100.2